न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–534/2026

सकिला खातून बनाम् बिहार सरकार

गंगा ब्रिज थाना कांड संख्या–134/2025

अंतर्गत धारा–21(C), 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट।

Web Copy not Official

09-03-2026 गंगा ब्रिज थाना कांड सं0–134/2025, एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा–21(C), 29 में गिरफ्तारी की आशंका से आवेदिका **सकिला खातून उम्र–44 वर्ष पति–नसीर मंसुरी** साकिन–नारायणपुर वार्ड नं0–01, थाना–डुमरा, जिला–सीतामढ़ी के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता **श्री सुधीर प्रसाद सिंह** एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक **श्री सुमित कुमार** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदिका के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि दिनांक–18.08.2025 को समय 20.30 बजे सूचक थाना सिरिस्ता में बैठकर सरकारी कार्यों का निष्पादन कर रहा था। तभी उसे सूचना मिली कि पटना से हाजीपुर की तरफ एक उजले रंग के बोलेरो पिकअप रजि0 नं0–बी0आर0 06 जी0ई0 8350 पर मादक पदार्थ लेकर जा रहा है, तुरंत कार्रवाई करने पर रंग हाथ पकड़ा जा सकता है। सूचक उक्त सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए, आदेशानुसार संध्या गश्ती के पदाधिकारी एवं उनके साथ सशस्त्र बल टॉल प्लाजा के पास बैरियर लगाकर चेकिंग करने का आदेश दिया। साथ ही थाना पर उपलब्ध सशस्त्र बल के साथ पुलिस वाहन से टॉल पर पहुंचा तथा वाहनों का चेकिंग कर रहा था कि उसी क्रम में पटना के तरफ से हाजीपुर आने वाले लेन में एक उजले रंग के बोलेरो पिकअप जिसका रजि0 नं0–बी0आर0 06 जी0ई0 8350 आ रहा था जिसे रोका गया, जिस पर कुल दो व्यक्ति सवार थे जिन्हें बल के सहयोग से पकड़ लिया गया तथा नाम पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम शिवजी बैठा एवं सचिन कुमार बताया तथा यह भी बताया कि बोलेरो पर लदा हुआ सामान गुड्डु कुमार एवं गुड्डु कुमार के दोस्त राजू कुमार का है। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि गांड़ी पर लदे सामान को लेकर सीतामढ़ी जा रहे हैं। उसके बाद तलाशी नियमों का पालन करते हुए विडियोग्राफी के साथ उक्त पिकअप गाड़ी की तलाशी लिया गया तो उपर में पारले जी बिस्कुट के 23 काटून एवं उसके नीचे छिपाकर रखा हुआ पीला रंग के प्लास्टिक के बोरा में 76 कार्टुन बरामद हुआ। प्रत्येक कार्टुन को बारी–बारी से खोलकर देखने पर अभियुक्तों के पास से 912 लीटर कफ सीरप, (1) ONEREX WINGS BIOTECH LLP Codeine phosphate & Triprolidine Hydrochloride Syrup BATCH NO. ONTS1919, MFG DATE-

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–534/2026

सकिला खातून बनाम् बिहार सरकार

लगातार

09.03.2026 JUL 2025 EXPIRE DATE- DEC 2026- 3960 Pcs. COUGH SYRUP, (2) ONEREX WINGS BIOTECH LLP Codeine Phosphate & Triprolidine Hydrochloride Syrup BATCH NO. ONTS1836, MFG DATE- JUNE 2025 EXPIRE DATE- NOV 2026- 1440 Pcs. COUGH SYRUP, (3) ONEREX WINGS BIOTECH LLP Codeine phosphate & Triprolidine Hydrochloride Syrup BATCH NO. ONTS1901, MFG DATE- JUL 2025 EXPIRE DATE- DEC 2026- 1920 Pcs. COUGH SYRUP, (4) ONEREX WINGS BIOTECH LLP Codeine phosphate & Triprolidine Hydrochloride Syrup BATCH NO. ONTS1860, MFG DATE- JUNE 2025 EXPIRE DATE- NOV 2026- 1320 Pcs. COUGH SYRUP, (5) ONEREX WINGS BIOTECH LLP Codeine phosphate & Triprolidine Hydrochloride Syrup BATCH NO. ONTS1837, MFG DATE- JUNE 2025 EXPIRE DATE- NOV 2026- 480 Pcs. COUGH SYRUP बरामद हुआ। जिसकी सूचना सहायक औषधि नियंत्रक वैशाली को दिया गया तो वह घटनास्थल पर अपने टीम के साथ आये और जांच पड़ताल के बाद उनके द्वारा बताया गया कि बरामद समान घटक CODINE PHOSPHATE जो कि N.D.P.S ACT के तहत NORCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE है। उसके बाद बरामद सभी सामानों का विधिवत जप्ती सूची तैयार कर उसे जप्त किया गया और पकड़ाये दोनों अभियुक्तों के विधिवत गिरफ्तार किया गया। जप्त प्रदर्श WINGS BIOTECH LLP ONEREX Codeine phosphate & Triprolidine Hydrochloride Syrup का 100–100 एम0एल0 का प्रत्येक बैच नं0 से 04–04 पीस कुल 20 पीस ड्रग इन्सपेक्टर वैशाली से जांच कराने हेतु एवं ONEREX COUGH SYRUP का 100–100 एम0एल0 का प्रत्येक बैच न0 से 04–04 पीस कुल 20 पीस जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोग शाला से जांच कराने हेतु निकालकर शेष प्रदर्श को घटनास्थल पर सीलबंद किया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर प्रसाद सिंह का कथन है कि, आवेदिका निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका बोलेरो पिकअप रजि0 नं0–बी0आर0 06 जी0ई0 8350 की स्वामिनी है और उसने सब्जी की लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए अपने व्यावसायिक वाहन का उपयोग किया है और आरोपी शिवजी बैठा ने सब्जियों की लोडिंग के लिए उक्त वाहन को प्रतिदिन एक हजार रूपये के किराए पर लिया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदिका का उक्त पिक–अप वाहन के चालक के

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–534/2026

सकिला खातून बनाम् बिहार सरकार

लगातार

09.03.2026 कब्जे से बरामद प्रतिबंधित सामग्री से कोई संबंध नहीं है और उसे अवैध गतिविधि में इस्तेमाल किए गए वाहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदिका उक्त वाहन को शिवजी बैठा को किराए पर दिया था और उसे जप्त अवैध सामग्री के कथित परिवहन के संबंध में कोई जानकारी, इरादा या संलिप्तता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि इस मामले के सह अभियुक्त शिवजी बैठा को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आपराधिक विविध वाद सं0–54065/2025 में पारित आदेश दिनांक–12.12.2025 से जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। निवेदित है आवेदिका को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक आवेदिका के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख, जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि, आवेदिका बोलेरो पिकअप रजि0 नं0–बी0आर0 06 जी0ई0 8350 की स्वामिनी है और उक्त गाड़ी से 912 लीटर कोडीन युक्त कफ सीरप 76 कार्टून में 23 कार्टून पारले जी बिस्कुट के नीचे बरामद हुआ है। प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 04, 05 एवं 06 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। प्राथमिकी अनुसार आवेदिका के उक्त वाहन से NORCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE का भंडारण एवं परिवहन करवाने का आरोप है और आवेदिका के विरूद्व अभी अनुसंधान जारी है।

अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों तथा आवेदिका पर लगाये गये आरोप की प्रकृति को देखते हुये आवेदिका को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदिका का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।